



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श10)

(सं० पटना 870) पटना बुधवार 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

5 नवम्बर 2019

सं० 1402—श्री बाबा कुशेश्वर नाथ मन्दिर, ग्राम—रामपुर राउत उर्फ रौता थाना—कुशेश्वर स्थान, जिला—दरभंगा पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—1664 है। इस न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, बेहतर प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक—2025, दिनांक—04.03.2013 द्वारा नौ सदस्यों के न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। न्यास समिति के कार्यकाल समाप्ति के पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी से कार्यरत न्यास समिति के सदस्यों में अच्छे ढंग से कार्य करने वाले और कुछ अन्य व्यक्तियों को मिलाकर कुल 11 नामों की मांग की गयी थी। उक्त पत्र के आलोक में अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी जो न्यास समिति के अध्यक्ष भी हैं ने अपनी रिपोर्ट दिनांक—25.03.2019, 11 व्यक्तियों के नामों के साथ उपलब्ध कराया, जिसमें समिति के श्री अमरनाथ झा, श्री विमलचन्द्र खाँ, श्री सकलदीप हजारी, श्री चन्द्रवली प्रसाद यादव तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, विरौल के साथ छः अन्य नामों की अनुशंसा की। उक्त प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि श्री राम विलास महतो की मृत्यु हो गयी, श्री जीवछ प्रसाद अग्रवाल वयोवृद्ध एवं न्यास विरोधी कार्य में संलिप्त हैं तथा श्री हीरा पासवान एवं सकलदीप हजारी परिवारिक समस्या के कारण न्यास कार्य में सहयोग नहीं दे पाते हैं तथा श्री अरुण कुमार, चीफ ऑफ ब्यूरो, हिन्दुस्तान टाइम्स में कार्यरत है और स्थानीय समस्याओं से अनभिज्ञ हैं तथा समय नहीं दे पाते हैं। उक्त लोगों के स्थान पर श्री प्रवीन कुमार भारती, श्री आनन्द खेतान, श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, श्री कृष्णकान्त हजारी एवं श्री अमरेन्द्र कुमार झा का नाम प्रस्तावित किया गया है।

संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री जनार्दन साहु के द्वारा उक्त मन्दिर की भूमि एवं सम्पत्ति की रक्षा हेतु विभिन्न न्यायालयों तथा पर्षद में अपने स्तर से निम्न कार्य किये गये हैं :—

- (1) लगभग 0.35 डी0 भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए न्यायाधिकरण में वाद संख्या—06/2014 दायर किया।
- (2) मन्दिर की जमीन पर बिना पर्षद की अनुमति प्राप्त किये सामुदायिक भवन के निर्माण का भी विरोध किया।
- (3) मन्दिर की कुल 26 बिघा 02 कट्ठा 12 धुर भूमि का हाल सर्वे में बिहार सरकार के नाम खाता खोलने के सुधार हेतु वाद दायर किया।
- (4) न्यास की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए वाद संख्या—19/2010 दाखिल किया गया जो मन्दिर के पक्ष में निर्णित हुआ।

- (5) न्यायाधिकरण द्वारा मन्दिर के पक्ष में पारित आदेश के अनुपालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया।
- (6) कुछ अतिक्रमणकारियों को न्यास समिति द्वारा बिना पर्षद की अनुमति के किरायेदार घोषित करने का भी विरोध किया।
श्री साहु द्वारा किये गये उपरोक्त कार्य स्पष्ट करते हैं कि उन्होंने मन्दिर की भूमि एवं सम्पत्ति को बचाने के लिए अथक प्रयास किया है, इसलिए न्यास समिति में एक सदस्य के रूप में इन्हें भी नामित किया जाता है।
उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर के सुचारु प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो न्यास की उपविधि 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री कुशेश्वरनाथ मन्दिर, ग्राम-रामपुर राउत, उर्फ रौता, थाना-कुशेश्वर स्थान, जिला-दरभंगा के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण करता हूँ तथा इसे मूर्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **“श्री कुशेश्वरनाथ मन्दिर, (कुशेश्वर स्थान) ग्राम-रामपुर राउत उर्फ रौता, जिला-दरभंगा न्यास योजना”** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **“श्री कुशेश्वरनाथ मन्दिर (कुशेश्वर स्थान) ग्राम-रामपुर राउत उर्फ रौता, जिला-दरभंगा न्यास समिति”** होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक् रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलौन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा, अगर वे ऐसा करते हैं तो वह शुन्य एवं अवैध होगा।
10. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

- | | |
|---|-------------|
| (1) अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल, दरभंगा | — अध्यक्ष |
| (2) श्री अमरनाथ झा | — उपाध्यक्ष |
| (3) श्री विमल चन्द्र खाँ | — सचिव |
| (4) अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान, पूर्वी | — सदस्य |
| (5) श्री चन्द्रवली प्रसाद यादव | — सदस्य |
| (6) श्री प्रवीण कुमार भारती | — सदस्य |

- | | | |
|------|----------------------------|---------|
| (7) | श्री आनन्द खेतान | — सदस्य |
| (8) | श्री विजय कुमार श्रीवास्तव | — सदस्य |
| (9) | श्री कृष्णकान्त हजारी | — सदस्य |
| (10) | श्री अमरेन्द्र कुमार झा | — सदस्य |
| (11) | श्री जनार्दन साहु | — सदस्य |

यह योजना तत्काल प्रभावी होगा और इसका कार्यकाल 05 वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 870-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>